लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/19/2012/288 भोपाल, दिनांक 22/5/2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय :– अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में संविलियन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भः– लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र क्रमांक/शि.क./ए/संवि./63/2011/648 दिनांक 12.08.2011 एवं अ.शा. पत्र क्रं. शि.क./ए/संवि./63/2011/ दिनांक 13.07.2011

---00---

विषयांतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के संदर्भित परिपत्र दिनांक 12.08.2011 के द्वारा अंतर जिला संविलियन हेतु एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन के लिए दिनांक 10.08.2011 के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करने तथा संविलियन की कार्यवाही न करने के निर्देश दिये गये थे तथा अ.शा. पत्र दिनांक 13.07.2011 के द्वारा नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में अन्य निकाय से नगर निगम क्षेत्र की शालाओं में संविलियन की कार्यवाही करने पर रोक लगाई गई थी।

संचालनालय द्वारा अध्यापक संवर्ग के संविलियन के लिए संदर्भित पत्रों द्वारा लगाए गये प्रतिबंध को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2012–13 में उल्लेखित अप्रतिबंधित अवधि तक के लिये निम्न शर्तों के अन्तर्गत शिथिल किया जाता है :–

1. संविलियन केवल सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्व किए जाने का प्रावधान है। अतः अध्यापक संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदो के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावे।

...........2

2. अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के संविलयन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी के पूर्व विषयमान से सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त होने के उपरांत जारी किया जावें

3. सहायक अध्यापक के संविलियन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी से यह भी सुनिश्चित कर ले कि संस्था में छात्र संख्या के मान से पद रिक्त है।

(अरूण कोचर) 22/5
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक / शि.क. / ए / 19 / 2012 / 289 भोपाल, दिनांक 22/5/2012

प्रतिलिपि :–

1. समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
3. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत, म.प्र.।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

आयुक्त 22/5
लोक शिक्षण, म.प्र.